

परियोजना पंजीयन वापसी हेतु अस्वीकृति आदेश प्रारूपआदेश

विषय:- भू-सम्पदा परियोजना <Project_Name>, रेरा पंजीकरण संख्या <RERA_Registration_No> के पंजीयन को वापस लिए जाने के आवेदन की अस्वीकृति।

प्रोमोटर मेसर्स <Promoter_Name> द्वारा अपनी पंजीकृत परियोजना <Project_Name>, रेरा पंजीकरण संख्या <RERA_Registration_No> का पंजीयन वापसी हेतु उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के समक्ष दिनांक <Date_of_Application> को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रोमोटर के आवेदन पर आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिनांक <Public_Notice_Date> को प्रकाशित कराया गया था।

प्राधिकरण द्वारा प्रोमोटर के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों एवं सार्वजनिक सूचना के जवाब में प्राप्त आपत्तियों की जांच करने के उपरांत प्राधिकरण कीवीं बैठक के निर्णय दिनांक <Authority_Meeting_Date> में निम्नलिखित आधार पर परियोजना के पंजीयन वापसी के आवेदन को खारिज किया गया है -

1. ..
2. ..
3. ..

प्रोमोटर को रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए जाते हैं। प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग द्वारा परियोजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और अन्य अनुपालनों की बारीकी से निगरानी की जाएगी एवं किसी भी विसंगति की सूचना तुरंत प्राधिकरण के संज्ञान में लाई जाएगी।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विफलता के विधिक प्रावधानों के अनुरूप दंडनीय परिणाम होंगे।

तदनुसार सभी संबंधितों को सूचित किया जाए।

सचिव

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण